11/3/25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। वादी ने वाद के चरण संख्या -1 में कथन किया है कि ग्राम हरनाथपुरा, तह० जयपुर, जिला -जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बरान 136, 138, 139, 139/347, 142, 143, 144, 147, 148, 149 (शा० न० 150), 151, 134, 135 (शा० न. 137), 145 कुल किता 14 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादी का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाथू बनाम कमला वगैरा

केस संख्या CWA 154/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/3/25	हिस्सा 1/10 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। वादी ने अपने वाद-पत्र के चरण सं. 5 व 6 में कथन किया है कि वादी को निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2013 के तहत खसरा नम्बर 149 (श्री न 150) रकबा 18 बिस्वा भूमि कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दी गयी। लेकिन खसरा नं. 149 (श्री न 150) रकबा 18 बिस्वा की मौके पर नाप करवाए जाने पर रकबा पर्याप्त ना होकर 17 बिस्वा ही है इसलिए जब तक

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाथू बनाम कल्याण वगैरा

केस संख्या वाद 154/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
	11/3/25	वादी को 18 बिस्वा भूमि नहीं दे दी जाती, तब तक प्रतिवादी 1 लगा० 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है। वादी की वाद-पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन पर हम पाते हैं कि उक्त वाद में सर्वप्रथम legal issue को तय किया जाना है कि 'वादी विवादित आराजी पर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है या नहीं।' वादी ने स्वयं कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं. 149 रकबा 18 बिस्वा पर [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम — नाथू बनाम आम जनता

केस संख्या। 4149-1441/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	11/3/25	वादी का ना तो 'Title' है और ना ही Possession है। क्योंकि वाद-पत्र के पैरा नम्बर-6 में वादी ने कथन किया है कि 'उक्त आराजीयात का जब तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो जाता एवम् जब तक मौके पर वादी को खसरा नं. 149, में पर्याप्त 18 बिस्वा भूमि सीमाज्ञान कर सुपुर्द नहीं कर दी जाती तब तक उपरोक्त आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यानि उक्त भूमि पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं है और ना ही वादी का कब्जा है	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाहू बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 1403 145/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/3/25	इस प्रकार वादी धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदार अभिधारी नहीं है। वाद अन्तर्गत धारा-188, केवल खातेदार अभिधारी ~~की~~ द्वारा ही पेश किया जा सकता है। सारतः वादी का वाद विधि से बाधित होने के कारण, धारा-188 राज० काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	